






<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>18/3/19</p>	<p>वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी साक्षिक आदेश की पालना की। पत्रावली दिनांक 13/5/19 की पेश की।  जिला कलेक्टर पाली (राज.)</p>	<p>81/5/19</p>
<p>13/5/19</p>	<p>वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी द्वारा साक्षिक आदेश की पालना नहीं की गई है जो की जैदा पत्रावली दिनांक 4/7/19 को पेश हो।  जिला कलेक्टर पाली (राज.)</p>	<p>81/5/19</p>
<p>4/7/19</p>	<p>वकील प्रार्थी उप। पी. ओ. सा. अवकाश में है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 27/8/19 को पेश हो। </p>	<p>81/5/19</p>
<p>27/8/19</p>	<p>वकील प्रार्थी उप। इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 17/10/19 को पेश हो। </p>	<p>81/5/19</p>
<p>17.10.2019</p>	<p>वकुलाय उप। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में कम्पनी को अप्रार्थी की भूमि की आवश्यकता नहीं है। इस कारण प्रार्थी अपना यह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तथा प्रार्थी कम्पनी अपने हित में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रकरण विद्रोल करना चाहती हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें एवं प्रकरण प्रार्थी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जरिए विद्रोल खारिज फरमावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण विद्रोल करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाता है, एवं प्रार्थना पत्र जरिए विद्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो।  जिला कलेक्टर, पाली जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>81/5/19</p>